सूचना का अधिकार

राजभाषा विभाग

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
एनडीसीसी-II (नई दिल्ली सिटी सैंटर) भवन, 'बी' विंग
चौथा तल, जय सिंह रोड़
नई दिल्ली - 110001

- अधिनियम की धारा 4 (1)(ख) के अधीन सूचना ।
- केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों के ब्यौरे ।
- अपील प्राधिकारियों के ब्योरे ।
- नोडल अधिकारी/केंद्रीय बिंदु (प्वाइंट) का नामनिर्देशन ।
- राजभाषा विभाग की टेलीफोन निर्देशिका ।
- कार्य भार की स्थिति ।
- आवेदनों की प्राप्ति से संबंधित सूचना ।

- वार्षिक प्रगति रिपोर्ट - (2009-2010)
- वार्षिक प्रगति रिपोर्ट - (2008-2009)
- वार्षिक प्रगति रिपोर्ट - (2007-2008)

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005** की धारा **- 4 (1)(**ख) के अध्यधीन सूचना</u>

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कार्य और कर्तव्य ;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(iii) निर्णयन प्रक्रिया में पालन की जाने वाली कार्यविधि, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के माध्यम सम्मिलित हैं ;

(iv) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड ;

(v) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपने द्वारा धारित या अपने नियंत्रणाधीन या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख ;

(vi) ऐसे दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण, जो उसके द्वारा धारित याउसके नियंत्रणाधीन हैं, विवरण;

(vii) ऐसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसके नीति निर्धारण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जन सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं ;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का जिनमें दो या अधिक व्यिक्त हैं, जिनका गठन उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए किया गया है और इस बारे में विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें, जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी ;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक तथा उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली ;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां दर्शाते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट ;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति तथा आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे ;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां ;

(xiv) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी सूचना के संबंध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों ;

(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयां, तथा पुस्तकालय या वाचन कक्ष का यदि जनता के उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्य समय हैं ;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां ;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए: और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रति वर्ष अद्यतन करना ।

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005** की धारा **- 4 (1)(**ख) के अध्यधीन सूचना</u>

<u>अपने संगठन की विशिष्टियां कार्य और कर्तव्य</u>

यह विभाग संविधान के राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों को देखता है ।

इसके द्वारा देखे जाने वाले विषयों की विस्तृत सूची निम्नलिखित है:

- संविधान के राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) के उपबंधों का कार्यान्वयन, उस सीमा को छोड़कर किस सीमा तक कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को समनुदेशित किया गया है ।
- किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी से इतर किसी भाषा के सीमित प्रयोग को प्राधिकृत करने के संबंध मे राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन ।
- संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के नोडल उत्तरदायित्व, इसमें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना और उससे संबंधित पत्रिकाओं, जर्नलों और अन्य साहित्य का प्रकाशन भी शामिल है ।
- संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों का समन्वय, इसमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और (मानकीकृत लिपियुक्त) अपेक्षित उपस्कर भी शामिल है ।
- केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग-प्रबंध ।
- केंद्रीय हिंदी समिति से संबंधित मामले ।
- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्यों का समन्वय ।

- केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले ।
- हिंदी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले ।
- क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से संबंधित मामले ।
- संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित मामले ।

राजभाषा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

राजभाषा विभाग का प्रमुख सचिव होता है ।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय और संसदीय राजभाषा सचिवालय समिति राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय हैं । ये सभी कार्यालय परस्पर संबद्ध हैं और सचिव (राजभाषा) के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करते हैं । सहायता के लिए संयुक्त सचिव, निदेशक, उपसचिव आदि स्तर के अधिकारी होते हैं । इस विभाग का कार्य अधीनस्थ कार्यालयों में विभाजित किया गया है । प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय का प्रमुख उपसचिव होता है (संसदीय राजभाषा सचिवालय समिति का प्रमुख उप सचिव/निदेशक रैंक का अधिकारी होता है, जिसे सचिव के रूप में पदनामित किया गया है । इन अधीनस्थ कार्यालयों के नाम उनके उत्तरदायित्व के मुख्य क्षेत्रों को दर्शाते हुए, नीचे दिए गए हैं :

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना

केंद्रीय सरकार के कार्मिकों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/आशुलिपि, अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद का प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उन्हें राजभाषा संबंधी सांविधानिक और विधिक उपबंधों के अनुसार हिंदी में कार्य करने के योग्य बनाया जा सके ।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित असांविधिक नियमपुस्तकों, संहिताओं और अन्य प्रक्रिया साहित्य तथा उससे संबंधित प्रपत्रों का अनुवाद । साथ ही केंद्रीय सरकार के कार्मिकों को अंग्रेजी-हिंदी अनुवाद का प्रशिक्षण

प्रदान करना ताकि उन्हें राजभाषा संबंधी सांविधानिक और विधिक उपबंधों के अनुसार हिंदी में कार्य करने के योग्य बनाया जा सके ।

<u>क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय</u>

त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों और कार्यालयों के निरीक्षण के माध्यम से केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना संग्रहीत करना ।

<u>संसदीय राजभाषा समिति</u>

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा -4 (3) के अनुसार, समिति का यह कर्तव्य है कि वह संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रयोग के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा करे और उसके संबंध में सिफारिश करते हुए, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णयन प्रक्रिया में पालन की जाने वाली कार्यविधि जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के माध्यम सम्मिलित हैं :

मामलों पर कार्यवाही सामान्यत: अनुभाग/डेस्क स्तर पर की जाती है और फाइल प्रत्येक मामले की आवश्यकतानुसार अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/सचिव/मंत्रियों को प्रस्तुत की जाती हैं ।

<u>अपने कार्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मानदंड:</u>

समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों के अनुसार मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटान के प्रयास किए जाते हैं ।

<u>अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपने द्वारा धारित या अपने नियंत्रणाधीन या अपने कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, नियम पुस्तक (मैनुअल) और अभिलेख</u>

राजभाषा विभाग भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अनुदेशों, नियम पुस्तकों आदि के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करता है ।

<u>ऐसे दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो उसके द्‌वारा धारित हैं या उसके नियंत्रणाधीन हैं :</u>

राजभाषा विभाग द्‌वारा धारित दस्तावेजों में विभाग में निपटाए जाने वाले विषयों से संबंधित फाइलें तथा केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा संबंधी दस्तावेज शामिल हैं ।

ऐसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसके नीति निर्धारण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जन सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है:

राजभाषा विभाग का ग्राहक वर्ग केवल केंद्रीय सरकार के कार्यालयों तक ही सीमित हैं ।

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का जिनमें दो या अधिक व्यिक्त हैं, जिनका गठन उनके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए किया गया है और इस बारे में विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी :

विभाग की वेबसाइट, जनसाधारण के लिए सूचना उपकरण का काम करती है और वह उसकी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करती है । राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में परामर्श देने और उसके मॉनीटरन के उद्देश्य से गठित समितियों के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

(क) केंद्रीय हिंदी समिति

केंद्रीय हिंदी समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है । यह हिंदी के प्रचार-प्रसार और प्रगामी प्रयोग से संबधित कार्य का समन्वय करती है ।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (3) के अनुसार, समिति का यह कर्तव्य है कि वह संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रयोग के

संबध में की गई प्रगति की समीक्षा करे और उसके संबंध में सिफारिश करते हुए, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

राजभाषा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका:

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक तथा उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली:

राजभाषा विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों और

कर्मचारियों को नीचे दिए गए उनके अपने-अपने वेतनमान में मासिक पारिश्रमिक और यथालागू भत्तों का भुगतान किया जाता है:-

क्रम संख्या	**पद का नाम**	**वेतन बैंड (रू. में)**	**ग्रेड वेतन (रू. में)**
1.	सचिव (राजभाषा)	80,000-00 (नियत)	
2.	संयुक्त सचिव	37,400-67,000	10000
3.	निदेशक एवं समकक्ष	37,400-67,000	8700
4.	उप सचिव/वरिष्ठ निजी प्रधान सचिव/संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष	15,600-39,100	7600
5.	अवर सचिव/प्रधान निजी सचिव/उप निदेशक एवं समकक्ष	15,600-39,100	6600
6.	सहायक निदेशक एवं समकक्ष	15,600-39,100	5400
7.	अनुभाग अधिकारी/हिंदी प्राध्यापक/वरिष्ठ अनुवादक एवं समकक्ष	9,300-34,800	4800
8.	सहायक/निजी सहायक एवं समकक्ष	9,300-34,800	4600
9.	कार्यालय अधीक्षक/कनिष्ठ	9,300-34,800	4200

	अनुवादक एवं समकक्ष		
10.	प्रवर श्रेणी लिपिक/ आशुलिपिक एवं समकक्ष	5,200-20,200	2400
11.	अवर श्रेणी लिपिक/स्टॉफ कार चालक एवं समकक्ष	5,200-20,200	1900
12.	विविध कार्य से संबंधित स्टाफ (एमटीएस)	5,200-20,200	1800

<u>इसके विनियम में यथाउपबंधित प्रतिकर की वसूली प्रणाली</u>

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उप-शीर्ष-4(1)(ख)(भ)

किसी भी अपील प्राधिकारी/केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या इस विभाग किसी अन्य अधिकारी या स्टाफ सदस्य से अभी तक कोई ऐसा मामला प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें सी.आई.सी. ने प्रतिपूर्ति की वसूली का आदेश दिया हो । यदि आवश्यकता होगी, तो अपील प्राधिकारी/केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या अधिकारी या स्टाफ सदस्य, जैसा भी मामला हो, से प्रतिकर के रूप में राशि की वसूली की व्यवस्था विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के संबंधित रोकड़ अनुभाग द्वारा की जाएगी ।

<u>सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां दर्शाते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट</u>

बजट

<u>सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति तथा आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे :</u>

विभाग की कोई सहायिकी (सब्सिडी), योजना नहीं है ।

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों,अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्त्ताओं की विशिष्टयां ।

--शून्य--

किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्‌वारा धारित हों ।

राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध अनुसार ।

<u>सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, तथा पुस्तकालय या वाचनकक्ष का यदि जनता के उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्य समय :</u>

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में पुस्तकालय है । वाचनकक्ष प्रतिदिन कार्य समय में, अर्थात प्रात: 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक खुला रहता है ।

<u>लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टयां</u>

--लिंक--

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए; और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रति वर्ष अद्यतन करना :

राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

सं.**1/16034/19/2010-**रा.भा.(नीति-**1)**

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, **खान मार्किट**,

नई दिल्ली, **तारीख** 15 **दिसंबर**, 2010

आदेश

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 14.8.2006 के आदेश सं. 1/16034/01/2005-रा.भा.(नीति-1) का अधिक्रमण करते हुए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के अनुसार राजभाषा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को एतद्द्वारा उनके नाम के सामने उल्लिखित विषयों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपील प्राधिकारी निर्दिष्ट किया जाता है ।

2. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों के लिए यह कार्य आबंटित करने का उद्देश्य यह है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों व अपील प्राधिकारियों की संख्या इन तीन कारणों से बढ़ाई जा सके:--

राजभाषा विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकाधिक अधिकारियों को समय-समय पर यथा संशोधित सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों से अवगत कराना; यह सुनिश्चित करना कि विनिर्दिष्ट विषय से संबंधित अधिकारी संगत व सही सूचना दे; और अंतत: सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना मांगने वाले आवेदक के स्थान के निकट ही अपील प्राधिकारी होने की व्यवस्था से संतुष्टि व सुविधा स्तर में वृद्धि करना ।

3. राजभाषा विभाग, उसके क्षेत्रीय कार्यालयों, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो और संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय के लिए पुन: निर्दिष्ट केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों तथा अपील प्राधिकारियों का श्रेणीवार ब्योरा नीचे दिया गया है:-

(क) राजभाषा विभाग (मुख्यालय)

क्रम सं.	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्य का ब्योरा	नामित अपील प्राधिकारी का नाम और पता
	श्री सूरज भान, उप सचिव (समन्वय)	समन्वय, प्रशासन के मामले; संसदीय कार्य के	श्री डी.के.पांडेय, संयुक्त सचिव (राजभाषा-I) राजभाषा विभाग,

क्रम सं.	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्य का ब्योरा	नामित अपील प्राधिकारी का नाम और पता
	राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली; टेलीफैक्स - 24618967 ईमेल:ds-pc@nic.inसंपर्क अधिकारी: श्री सूरज भान, उप सचिव (प्रशिक्षण)	लिए नोडल पॉइंट; केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रशासनिक मामले; विभागीय/सीधी भर्ती परीक्षा में हिंदी का वैकल्पिक प्रयोग; हिंदी कार्य के लिए पदों का सृजन और उसके लिए मानक निर्धारित करना । हिंदी अधिकारियों, हिंदी अनुवादकों आदि के कार्य व मानक	लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स- 24611031 ईमेल:jsol @nic.inसंपर्क अधिकारी: श्री आर.के.कालिया, संयुक्त सचिव (राजभाषा-II)
	श्री रति राम, अवर सचिव (नीति एवं तकनीकी) राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24622930 ईमेल:policy1-ol@nic.in संपर्क अधिकारी: श्री धर्म सिंह, अवर सचिव (सेवा)	संघ की राजभाषा नीति, केंद्रीय हिंदी समिति का पुनर्गठन और उसकी बैठक का आयोजन संसदीय राजभाषा समिति के सचिवालय कर्मचारियों के प्रशासनिक मामले और उक्त समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई, हिंदी सलाहकार समितियों का समन्वय कार्य/कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने की सुविधाओं के बारे में केंद्रीय सरकारी	श्री राकेश कुमार, निदेशक (तकनीकी एवं नीति) राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24617695 ईमेल:dir-tech @nic.in संपर्क अधिकारी: श्री रमेश बाबू अणियेरी, निदेशक(कार्यान्वयन/अनुसंधान)

क्रम सं.	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्‌वारा किए जाने वाले कार्य का ब्योरा	नामित अपील प्राधिकारी का नाम और पता
		कार्यालयों में जागरूकता उत्पन्न करना और कंप्यूटरों पर हिंदी में उनके प्रभावी उपयोग के लिए अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।	
	श्री के.एन.उनियाल, उप निदेशक (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24617657 ईमेल:knuniyal 1951@yahoo.co.in संपर्क अधिकारी: श्री रति राम, अवर सचिव (नीति एवं तकनीकी)	केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से संबंधित मामले, मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन; तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से कार्यान्वयन का मानीटरन; राजभाषा नियम की धारा 10(4) व 8(4) के तहत कार्यालय अधिसूचित करना; राजभाषा सम्मेलन, प्रदर्शनियां आयोजित करना; क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार; हिंदी में मौलिक पुस्तक	श्री रमेश बाबू अणियेरी, निदेशक (कार्यान्वयन/अनुसंधान) राजभाषा विभाग; लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24643622 ईमेल:r.aniyeri@nic.in संपर्क अधिकारी: श्री सूरज भान, उप सचिव (प्रशिक्षण)

क्रम सं.	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्‌वारा किए जाने वाले कार्य का ब्योरा	नामित अपील प्राधिकारी का नाम और पता
		लेखन के लिए राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान पुरस्कार	
	श्री राज कृष्ण भोरिया, अवर सचिव (कार्यान्वयन) राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24619709 ईमेल:bhoria@nic.in संपर्क अधिकारी: श्री रति राम, अवर सचिव (नीति एवं तकनीकी)	मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरू, गुवाहाटी, गाजियाबाद, भोपाल, कोच्चि और दिल्ली में स्थित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के प्रशासनिक मामले	श्री रमेश बाबू अणियेरी, निदेशक (कार्यान्वयन/अनुसंधान), राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24643622 ईमेल:r.aniyeri@nic.in संपर्क अधिकारी: श्री सूरज भान, उप सचिव (प्रशिक्षण)
	श्री धर्म सिंह, अवर सचिव (सेवा) राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली; टेलीफैक्स - 24617657 ईमेल:serviceol@nic.in संपर्क अधिकारी: श्री वी.के.गुप्ता, अवर सचिव(प्रशिक्षण/सतर्कता)	केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सभी ग्रेडों के अधिकारियों का संवर्ग नियंत्रण, उनकी भर्ती, नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति, तैनाती, स्थानांतरण/भर्ती नियम बनाना	श्री आर.के. कालिया, संयुक्त सचिव (राजभाषा-II) राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24618706 ईमेल:dirservices-ol @nic.in संपर्क अधिकारी: श्री डी.के.पांडेय, संयुक्त सचिव (रा.भा.-I)
	श्री वी.के.गुप्ता, अवर सचिव (प्रशिक्षण) राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24694312	केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण से संबंधित मामले और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अन्य प्रशासनिक	श्री सूरजभान, उप सचिव (प्रशिक्षण/शिकायत) राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24617764 ईमेल:surajbhan12@

क्रम सं.	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्य का ब्योरा	नामित अपील प्राधिकारी का नाम और पता
	ईमेल:ustrg-ol@nic.in संपर्क अधिकारी: श्री रति राम, अवर सचिव (नीति एवं तकनीकी)	मामले, सतर्कता मामले	gmail.com संपर्क अधिकारी: श्री राकेश कुमार, निदेशक (तकनीकी एवं नीति)
	डा. सरोज कुमार त्रिपाठी, उप निदेशक (शिकायत) राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24690646 ईमेल:adproc3@nic.inसंपर्क अधिकारी: श्री राज कृष्ण भोरिया, अवर सचिव (कार्यान्वयन)	संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन न करने संबंधी शिकायतें	श्री सूरजभान, उप सचिव (प्रशिक्षण/शिकायत) राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24617764 ईमेल:surajbhan12 @gmail.com संपर्क अधिकारी: श्री राकेश कुमार, निदेशक (तकनीकी एवं नीति)
	श्री एस.के.चौधरी, अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान एवं विश्लेषण) राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24698054 ईमेल:ru-ol@nic.in संपर्क अधिकारी: श्री एस एन शुक्ल, अनुसंधान अधिकारी	वार्षिक कार्यक्रम, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, तिमाही पत्रिका " राजभाषा भारति " राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों, अनुदेशों का संकलन, टी.वी. और रेडियो स्पॉट तैयार करना, हिंदी में मानक पुस्तकों की सूची	श्री रमेश बाबू अणियेरी, निदेशक (कार्यान्वयन/अनुसंधान) राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24643622 ईमेल:r.aniyeri @nic.in संपर्क अधिकारी: श्री राकेश कुमार, निदेशक (तकनीकी एवं नीित्É
(ख) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो			
1.	श्री किरन सक्सेना,	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो,	श्री राकेश कुमार, निदेशक,

क्रम सं.	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्य का ब्योरा	नामित अपील प्राधिकारी का नाम और पता
	संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8 वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24362151 ईमेल:jdctb-dol@nic.in संपर्क अधिकारी: उप निदेशक (अनुवाद)	(मुख्यालय) के प्रशासनिक व अन्य मामले और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, द्वारा मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8 वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24362025 ईमेल:dctb-dol@nic.in संपर्क अधिकारी: श्रीमती मोहिनी हिंगोरानी, निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
2.	श्री आई.सी. मिश्र, सहायक निदेशक, अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, 5 वां तल, केंद्रीय सदन, डी-ब्लॉक, 17वां मेन, कोरमंगला बेंगलुरू-560034 टेलीफैक्स - 080-25351946 ईमेल:sn.samirl@ gmail.comसंपर्क अधिकारी: श्री एम.एम.भांडेकर सहायक निदेशक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, बेंगलुरू	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के बेंगलुरू केंद्र में अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशासनिक मामले	श्री एस.एन. सिंह, संयुक्त निदेशक, अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, 5 वां तल, केंद्रीय सदन, डी.ब्लॉक, कोरमंगला, बेगलुरू-560034 टेलीफैक्स - 080-25531946 ईमेल:sn.samirl@ gmail.com संपर्क अधिकारी: उपनिदेशक (कार्यान्वयन क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, बेंगलुरू
3.	श्री सतीश पांडेय, सहायक निदेशक, अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 67-बी, बॉली गंज पार्क टावर बी-ब्लॉक, 10वां तल,	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के कोलकाता केंद्र में अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशासनिक मामले	श्रीमती किरन सक्सेना, संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली टेलीफैक्स -

क्रम सं.	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्य का ब्योरा	नामित अपील प्राधिकारी का नाम और पता
	सर्कुलर रोड, कोलकाता-700019 टेलीफैक्स - 033-22876044 ईमेल: pandey.satish2@ gmail.comसंपर्क अधिकारी: श्री राम विनोद सिंह, सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, कोलकाता		24362025 ईमेल:jdctb-dol@nic.in संपर्क अधिकारी: उप निदेशक (प्रशिक्षण) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली
4.	श्री नरेश कुमार, सहायक निदेशक अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय सदन, 6वां तल, सी.बी.डी. बेलापुर, नवीं मुबंई-4000614 फोन- 022-27566902 ईमेल:ctbmumbai @ gmail.comसंपर्क अधिकारी: उप-निदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, मुबंई	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के मुंबई केंद्र पर अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशासनिक मामले	श्रीमती किरन सक्सेना, संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, 8 वां तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली टेलीफैक्स - 24362025 ईमेल:jdctb-dol@nic.inसंपर्क अधिकारी: उप निदेशक (प्रशिक्षण) केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली
(ग) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान			
1.	श्री शिव सिंह नेगी, प्रशासन अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7 वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली	हिंदी भाषा के लिए आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि व के.हि.प्र.संस्थान के	श्रीमती मोहिनी हिंगोरानी निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7 वां तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली टेलीफैक्स: 24361852 ई-

क्रम सं.	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्य का ब्योरा	नामित अपील प्राधिकारी का नाम और पता
	टेलीफैक्स: 24365089 ई-मेल:sps.negi@nic.inसंपर्क अधिकारी: श्री भूपेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक, (भाषा)	समूह ख, ग, और घ कर्मचारियों के प्रशासनिक मामले ।	मेल:dirchti-dol@nic.in
2.	श्रीमती कमलेश बजाज, सहायक निदेशक-I (मध्य-उत्तर), पूर्वी ब्लॉक-7, लेवल-2 आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 फोन: 011-26175246 टेलीफैक्स:011-26191572 ई-मेल:chti1118@nic.inसंपर्क अधिकारी: श्रीमती नीना पुंज, सहायक निदेशक-2 (मध्य-उत्तर)	मध्य-उत्तर क्षेत्र में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित मामले तथा समूह ग और घ के प्रशासनिक मामले ।	श्री राम मिलन व्यास, उप निदेशक (मध्य-उत्तर) पूर्वी ब्लाक-7, लेवल-6, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 फोन: 011-26175246 टेलीफैक्स: 011-26191572 ई-मेल-ddhts-nc-dol@nic.in
3.	श्रीमती चित्रा कृष्णन, सहायक निदेशक, राजाजी भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, बसंत नगर, चेन्नै-600090 ई-मेल:chti1131@nic.inसंपर्क अधिकारी: श्री अजक मलिक, सहायक निदेशक (भाषा)	दक्षिण क्षेत्र में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिदी भाषा, हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित मामले और समूह 'ग' और "घ' के पदों से संबंधित प्रशासनिक मामले ।	श्री नवनाथ कंबल, उप-निदेशक (दक्षिण) राजाजी भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, बसंत नगर, चेन्नै-600090 फोन: 044-24919096 ई-मेल:ddhts-south-dol@nic.in

क्रम सं.	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्य का ब्योरा	नामित अपील प्राधिकारी का नाम और पता
4.	श्रीमती पूनम दीक्षित, सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान, 18 वां तल, सेकेंड मल्टी-फ्लोर बिल्डिंग, निजाम पैलेस, काम्प्लैक्स, जे.सी.बोस रोड, कोलकाता-7000020 टेलीफैक्स:033-22870793 ई-मेल:chti1132@nic.in संपर्क अधिकारी: श्रीमती मंजु शिरीन, सहायक निदेशक	पूर्व क्षेत्र में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित मामले तथा समूह 'ग' व 'घ' के पदों से संबंधित प्रशासनिक मामले ।	श्री रामनारायण सरोज, उप-निदेशक (पूर्व) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, 18 वां तल, सेकेंण्ड मल्टीफ्लोर बिल्डिंग निजाम पैलेस कॉम्पलैक्स जे.सी.बोस रोड कोलकाता-700020 टैलीफैक्स: 033-22870793 ई-मेल:ddhts-east-dol@nic.in

5)	श्री दामोदर गौड़ सहायक निदेशक, केंद्रीय सदन, "सी " विंग, 6वां तल, सी बी डी बेलापुर, नवी मुंबई-400614. टैलीफैक्स:044-27572705 ई-मेल:chti1119@nic.in संपर्क अधिकारी: श्री करण सिंह, सहायक निदेशवE	पश्चिम क्षेत्र में हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित मामले ।	श्री राजेन्द्र सिंह, उप निदेशक(पश्चिम) केंद्रीय सदन, "सी" विंग, 6वां तल सी बी डी, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 टैलीफैक्स:044-27572705 ई-मेल:ddhts-west-dol@nic.in
6)	श्री रुस्तम रॉय, सहायक निदेशक (भाषा), हिंदी शिक्षण	पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंदी शिक्षण योजना के	श्री श्यामलाल पूर्ति, उप निदेशक(पूर्वोत्तर) हिंदी

	योजना, पूर्वोत्तर बॉर्डर रेल मुख्यालय, मालीगांव, गुवाहाटी, टैलीफैक्स:0361-2675661 ई-मेल:chti1112@nic.in संपर्क अधिकारी: श्री राधेश्याम उपाध्याय	अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित मामले । तथा समूह "ग" और "घ" के पदों से संबंधित प्रशासनिक मामले ।	शिक्षण योजना पूर्वोत्तर बॉर्डर रेल मुख्यालय, मालीगांव, गुवाहाटी. टैलीफैक्स:0361-2675661 ई-मेल:ddhts-ne-dol@nic.in
7)	श्री जय प्रकाश, सहायक निदेशक, पूर्वी-ब्लॉक-7, लेवल-2, आर.के.पुरम्, नई दिल्ली-110066. फोन:011-26175176. टैलीफैक्स:011-26162093. ई-मेल:chti1101@nic.in संपर्क अधिकारी: श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, सहायक निदेशक, (हिंदी टंकण/आशुलिपि)	मध्य-उत्तर क्षेत्र में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण व हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सम्बंधित मामले । समूह "ग" और "घ" के पदों से संबंधित प्रशासनिक मामले ।	श्री पृथ्वी सिंह, उप निदेशक (परीक्षा) पूर्वी ब्लॉक-7, लेवल-2, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली-110066. फोन:011-26175176. टैलीफैक्स:011-26162093. ई-मेल:ddhts-exam-dd @nic.in

(घ) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय:

क्रम सं.	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्य का ब्योरा	नामित अपील प्राधिकारी का नाम और पता
1)	श्री रामलाल शर्मा, सहायक निदेशक	केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान (के.हि.प्र.सं.) व	श्री राकेश कुमार, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय

	(कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), कोलकाता, 18वां तल, निजाम पैलेस कॉम्प्लैक्स, 234/4, आचार्य जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700030. टैलीफैक्स::033-22800356 22875305 ई-मेल: rk text@hot mail .com	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (के.अ.ब.) के साथ समन्वय सुनिश्चित करते हुए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व) कोलकाता के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण से संबंधित मामले ।	कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), कोलकाता, 18वां तल, निजाम पैलेस कॉम्पलैक्स, 234/4, आचार्य जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700030. फोन:033-22800356 22875305 ई-मेल: rk text@hot mail. com
2)	श्री अशोक कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर), राजगढ रोड, वाई लेन-1, पोस्ट-शिलपुखरी, गुवाहाटी-781003. फोन:24643622 टैलीफैक्स:011-26162093. ई-मेल:ashok hindirajbhasha@gmail.com	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण से संबंधित मामले ।	श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक(कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व), कोलकाता, 18वां तल, निजाम पैलेस कॉम्पलैक्स, 234/4, आचार्य जे.सी. बोस रोड, कोलकाता-700030. फोन:033-22800356 22875305 ई-मेल: rk text@hot mail.Com

3)	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), डी विंग, 5वां तल, केंद्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलुरू-560034. फोन:080-25536232 ई-मेल:Meena67ajay @yahoo. com	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), बेंगलूरू के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण से संबंधित मामले ।	श्री रमेश बाबू अणियेरी, निदेशक (कार्यान्वयन/अनुसंधान) राजभाषा विभाग, खान मार्किट, नई दिल्ली टैलीफैक्स:24643622 ई-मेल:r.aniyeri@nic.in.संपर्क अधिकारी: श्री राकेश कुमार, निदेशक, (तकनीकी और नीति)
4)	श्री जसवंत सिंह, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), कमरा संख्या 302, तीसरा तल, सी जी ओ भवन, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001 (उ0प्र0) फोन:0120-2719356 ई-मेल:sk singh @yahoo. com	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), गजियाबाद के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण से संबंधित मामले ।	श्री शैलेश कुमार सिंह, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर), कमरा संख्या 302, तीसरा तल, सी जी ओ भवन, कमला नेहरू नगर, गजियाबाद-201001 (उ0प्र0) फोन:0120-2719356 ई-मेल:sk singh @yahoo. com
5)	श्रीमती सुष्मिता भट्टाचार्य, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केंद्रीय सदन, कमरा संख्या 601-ए, सेक्टर-10, 6वां तल, सी बी डी	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), नवी मुंबई के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण से संबंधित मामले ।	डा0 एम.एल. गुप्ता, उप निदेशक (कार्यान्वयन) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केंद्रीय सदन, कमरा संख्या 601-ए, सेक्टर-10, 6वां तल, सी बी डी बेलापुर, नवी मुंबई-400614 फोन:022-27560225 ई-मेल:ddimpol-

	बेलापुर, नवी मुंबई-400614 फोन:022-27560225 ई-मेल:ddimpol-mum @nic.in		mum @nic.in
6)	श्री पी विजय कुमार, सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम), केंद्र भवन, ब्लॉक-ग, 7वां तल, एसईएस. पी.ओ. कोच्चि-682037 (केरल) फोन:0484-2427792 ई-मेल:dd.riochn @ nic.in	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम), कोच्चि के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण से संबंधित मामले ।	डा0 बी0 एन0 बालाकृष्णन, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम), केंद्र भवन, ब्लॉक-ग, 7वां तल, एसईएस. पी.ओ.-682037 (केरल) फोन:0484-2427792 ई-मेल:dd.riochn @ nic.in
7)	श्री हरीश सिंह चौहान, अनुसंधान अधिकारी(कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), निर्माण सदन, कमरा संख्या:208, सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स, 52-क, एरेरा हिल्स, भोपाल-462011 फोन:0755-2553149 ई-मेल:riacentrolbhopal @yahoo.in	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य) भोपाल के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण से संबंधित मामले ।	डा0 बी.एन. पांडेय, उप-निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), निर्माण सदन, कमरा संख्या:208, सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स, 52-क, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 फोन:0755-2553149 ई-मेल:riacentrolbhopal@yahoo.in
8)	श्री एस.डी. पांडेय, सहायक निदेशक	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली के अंतर्गत आने वाले	श्री विनोद कुमार शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय

	(कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-110023 फोन:011-24674674 ई-मेल:rio impl delhi dd @gmail.com	केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण से संबंधित मामले ।	कार्यान्वयन कार्यालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली-110023 फोन:011-24674674 ई-मेल:rio impl delhi dd @gmail.com

(ड.) संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय

क्रम सं.	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्य का ब्योरा	नामित अपील प्राधिकारी का नाम और पता
1.	श्री प्रदीप कुमार शर्मा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, संसदीय राजभाषा समिति, 11-तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली फोन: 23013346 टैलीफैक्स:23012933 ई-मेल:Pspradeep3 @ gmail.com संपर्क अधिकारी: श्री एल.आर. यादव, अवर सचिव, (प्रशासन)	संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित मामले	श्रीमती पूनम जुनेजा, सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11-तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली टैलीफैक्स:23012933 ई-मेल:Secretary cpol gmail.com
2.	श्री एल.आर. यादव, अवर सचिव, (प्रशासन), संसदीय राजभाषा समिति, 11-तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली फोन: 23014187 टैलीफैक्स:23012933 ई-मेल: संपर्क अधिकारी: श्री प्रदीप कुमार शर्मा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित प्रशासनिक मामले	श्रीमती पूनम जुनेजा, सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11-तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली टैलीफैक्स:23012933 ई-मेल:Secretary cpol gmail.com

4. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में, निर्दिष्ट अधिकारियों के संबद्ध अधिकारी आवेदन पर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी के तौर पर कार्यवाही करेगा ।

5. इसे सचिव, राजभाषा के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

(रति राम)
अवर सचिव

(नीति)

1. सभी अपील प्राघिकारी,

2. सभी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सचिव (राजभाषा) के प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव स्तर से लेकर अनुभाग अधिकारी स्तर के सभी अधिकारी ।
3. माननीय गृह राज्य मंत्री (एम)तथा माननीय गृह मंत्री को सूचनार्थ ;

(i) माननीय गृह राज्य मंत्री (एम) के निजी सचिव

(ii) माननीय गृह मंत्री के निजी सचिव ।

(रति राम)
अवर सचिव

(नीति)